बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्र संख्या-128 पटना, दिनांक-16/01/2006

संकल्प

विषयः- राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु निवेश प्रोत्साहन एवं निवेश संबंधी प्रस्तावों पर विचार करने हेतु राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का गठन।

राज्य में औद्योगिक प्रक्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु तथा निवेशकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर अनुकूल निर्णय लेने हेतु एक उच्च स्तरीय राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के बठन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। गत 7-9 नवरी, 2005 को भारत सरकार के प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय एवं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस, 2005 में राज्य सरकार द्वारा भाग लिये जाने के बाद यह सर्वसम्मत अभिमत गठित हुआ है कि राज्य में विदेशी, प्रवासी भारतीय तथा देश के आंतरिक निवेशकों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है ताकि राज्य में उद्योग, आधारभूत सरंचना एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिले।

2. राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के कार्य एवं दायित्व निम्न प्रकार होंगेः-

(क) राज्य में बाह्य(विदेशी, प्रवासी भारतीय एवं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत आंतरिक श्रोतों से निवेश) एवं आंतरिक(देश के अंदर) श्रोतों से पूँजी निवेश को प्रोत्साहित करने और इस हेतु यथावश्यक कार्रवाई करना।

(ख) वाह्य एवं आंतरिक निवेशकों से प्राप्त नये प्रस्तावों के वर्त्तमान प्रभावी छूट/नीतिगत रियायतों के अन्तर्गत हो या उनसे भिन्न हो, पर विचार कर उनपर पूरी परियोजना के मद्दे नजर परिपूर्ण दृष्टि अपनाते हुए (holistic view) अनुशंसा करना जिसके तहत सभी छूट/ नीतिगत रियायत समाहित हो, ताकि Single Window Clearance दिया जा सके।

(ग) राज्य निवेश पर्षद द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति/लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन की सामयिक समीक्षा।

(घ) अन्य कोई विषय जो उपर्युक्त कार्यो एवं दायित्वों के निर्वाह हेतु आवश्यक हों।

2.2 वैसी परियोजनाएँ जिनकी कुल लागत (हिस्सा पूँजी एवं ऋण सहित) 100 करोड़ रू0 तक हो की स्वीकृति मुख्य मंत्री/महामहिम राज्यपाल(राष्ट्रपति शासन की अवधि में) के

स्तर पर प्रदान की जायगी और उससे अधिक लागत की परियोजनाएँ मुख्य मंत्री के अनुमोदनोपरांत मंत्रिपरिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायगी। पर्षद अपनी अनुशंसाएँ मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्य मंत्री/मंत्रिपरिषद को प्रस्तुत करेगी।

2.3 राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का गठन निम्न प्रकार करने का निर्णय लिया गया है :-

(i)	विकास आयुक्त	-	अध्यक्ष
(ii)	वित्त आयुक्त	-	सदस्य
(iii)	अध्यक्ष,बिहार राज्य विद्युत पर्षद	-	सदस्य
(iv)	आयुक्त एवं सचिव,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	-	सदस्य
(v)	सचिव,वाणिज्य-कर विभाग	-	सदस्य
(vi)	संबंधित प्रशासी विभाग के आयुक्त एवं सचिव/सचिव	-	सदस्य
(vii)	अध्यक्ष,बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन	-	सदस्य
(viii)	औद्योगिक विकास आयुक्त	-	सदस्य सचिव

2.4 पर्षद की कार्य प्रणाली निम्नवत होगी :-

(i) पर्षद अपनी बैठकों में निवेश के प्राप्त प्रस्तावों पर या/और, विषयों का संबंधित विभाग के सचिव को आमंत्रित कर उनका विचार प्राप्त कर ही निर्णय लेगी।

(ii) पर्षद को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति या संस्थान के प्रतिनिधि को अपनी बैठक में आमंत्रित करे और उनका विचार प्राप्त कर सके।

(iii) प्राप्त निवेश के प्रस्तावों पर पर्षद यथासंभव एक माह के अंदर अपनी अनुशंसा मुख्य मंत्री/मंत्रिमंडल (जो भी सक्षम स्तर हो) को प्रस्तुत करेगी।

(iv) पर्षद की बैठक में भाग लेने हेतु किसी भी सदस्य या आमंत्रित को कोई यात्रा भत्ता या अन्य सुविधा देय नहीं होगी।

(v) उद्योग विभाग पर्षद के सचिवालय का कार्य करेगा और निवेशकों से प्राप्त आवेदन वहां पंजीकृत होंगे ताकि उन्हें first come first serve के आधार पर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाए और इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाए।

राज्यपाल के आदेश से,

(एस० विजयराघवन)
औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-128 पटना, दिनांक-16/01/2006

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-128 पटना, दिनांक-16/01/2006

प्रतिलिपि:- संबंधित सभी पदाधिकारियों/सभी विभागों/विभागध्यक्षों/उद्योग विभाग के सभी निगम/प्राधिकार/राज्य मंत्री, उद्योग के आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार,पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-128 पटना, दिनांक-16/01/2006

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव के सचिव,बिहार,पटना/विकास आयुक्त के सचिव,बिहार,पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-128 पटना, दिनांक-16/01/2006

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष,बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन/अध्यक्ष,बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स/अध्यक्ष, सी0आई0आई0, पटना प्रक्षेत्र/अध्यक्ष,TIE को सूचनार्थ प्रेषित।

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।